



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12092022-238738
CG-DL-W-12092022-238738

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, अगस्त 28— सितम्बर 3, 2022, शनिवार/भाद्र 6— भाद्र 12, 1944
No. 20] NEW DELHI, AUGUST 28— SEPTEMBER 3, 2022, SATURDAY/BHADRA 6—BHADRA 12, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2022

का.नि.आ. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2012 का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर —उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं”।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,

- (i) लीडिंग हैंड (प्रशासन) के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु.19900 - 63200)”

- (ii) चालक यांत्रिक परिवहन ग्रेड-1 के पद से संबंधित क्रम संख्या 16 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300)”

- (iii) चालक यांत्रिक परिवहन ग्रेड-II के पद से संबंधित क्रम संख्या 17 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)”

- (iv) चालक यांत्रिक परिवहन सामान्य ग्रेड के पद से संबंधित क्रम संख्या 18 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900- 63200)”

- (v) चालक रोड रोलर ग्रेड-I के पद से संबंधित क्रम संख्या 19 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) ”

(vi) चालक रोड रोलर ग्रेड-II के पद से संबंधित क्रम संख्या 20 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100) "

(vii) चालक रोड रोलर सामान्य ग्रेड के पद से संबंधित क्रम संख्या 21 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु.19900-63200) "

(viii) प्रचालक उत्खनन मशीनरी ग्रेड-1 के पद से संबंधित क्रम संख्या 22 के अधीन स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) "

(ix) प्रचालक उत्खनन मशीनरी ग्रेड-II के पद से संबंधित क्रम संख्या 23 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100) "

(x) प्रचालक उत्खनन मशीनरी सामान्य ग्रेड के पद से संबंधित क्रम संख्या 24 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु.19900-63200) "

(xi) पर्यवेक्षक अग्निशमन के पद से संबंधित क्रम संख्या 26 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100) "

(xii) लीडिंग हैण्ड अग्निशमन के पद से संबंधित क्रम संख्या 27 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु.19900-63200) "

(xiii) प्रयोगशाला सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 31 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700-69100) "

(xiv) पर्यवेक्षक बीजलेख के पद से संबंधित क्रम संख्या 35 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100) "

(xv) चार्जमैन (संचार) के पद से संबंधित क्रम संख्या 36 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) "

(xvi) सहायक चार्जमैन (संचार) के पद से संबंधित क्रम संख्या 37 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100) ”

(xvii) रेडियो मैकेनिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 38 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25500-81100) ”

(xviii) प्रचालक (संचार) के पद से संबंधित क्रम संख्या 39 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु.19900-63200) ”

(xix) हिन्दी टंकक के पद से संबंधित क्रम संख्या 40 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु.19900-63200) ”

[फा. सं. बी आर डी बी/01/03/2020/जी ई-1/141/ आर आर/र.(नि.)/2022]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) 09.07.2012 में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 169 तारीख 09.07.2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 31st August, 2022

S.R.O. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), Group ‘C’ Posts, Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), Group ‘C’ posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), Group ‘C’ posts, Recruitment Rules, 2012, (herein after referred to as the said rules) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

“3. Number of posts, classification and Level in pay matrix .- The number of posts, their classification and the Level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules”

3. In the said rules , in the Schedule,

(i) against serial number 4, relating to the post of Leading Hand (Administration), in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 2 in the pay matrix (Rs.19900 - 63200).” ;

(ii) against serial number 16, relating to the post of Driver Mechanical Transport Grade-I, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 5 in the pay matrix(Rs.29200-92300).” ;

(iii) against serial number 17, relating to the post of Driver Mechanical Transport Grade-II, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).”;

(iv) against serial number 18, relating to the post of Driver Mechanical Transport Ordinary Grade, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).”

(v) against serial number 19, relating to the post of Driver Road Roller Grade-I, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).”;

(vi) against serial number 20, relating to the post of Driver Road Roller Grade-II, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).”; ;

(vii) against serial number 21, relating to the post of Driver Road Roller Ordinary Grade, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).”; ;

(viii) against serial number 22, relating to the post of Operator Excavating Machinery Grade-I, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).”; ;

(ix) against serial number 23, relating to the post of Operator Excavating Machinery Grade –II, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).”; ;

(x) against serial number 24, relating to the post of Operator Excavating Machinery Ordinary Grade, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).” ;

(xi) against serial number 26, relating to the post of Supervisor Fire, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).” ;

(xii) against serial number 27, relating to the post of Leading Hand Fire, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).” ;

(xiii) against serial number 31, relating to the post of Laboratory Assistant, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100).” ;

(xiv) against serial number 35, relating to the post of Supervisor Cipher, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).” ;

(xv) against serial number 36, relating to the post of Chargeman (Communication), in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).” ;

(xvi) against serial number 37, relating to the post of Assistant Chargeman (Communication), in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).” ;

(xvii) against serial number 38, relating to the post of Radio Mechanic, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).” ;

(xviii) against serial number 39, relating to the post of Operator (Communication), in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).” ;

(xix) against serial number 40, relating to the post of Hindi Typist, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)” ;

[F. No. BRDB/01/03/2020/GE.I/141/RR/D(Apptts.)/2022]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published vide notification number G.S.R 169 dated 09.07.2012 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) 09.07.2012,

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2022

का.नि.आ. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, बहु कुशल कर्मकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), बहु कुशल कर्मकार (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, बहु कुशल कर्मकार (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम 2016, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

" 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,

(i) बहु कुशल कर्मकार (रसोइया) के पद से संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000-56900) ”

(ii) बहु कुशल कर्मकार (भोजनशाला बैरा) के पद से संबंधित क्रम संख्या 11 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000-56900) ”

(iii) बहु कुशल कर्मकार (राज) के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000-56900) ”

(iv) बहु कुशल कर्मकार (सफाईवाला) के पद से संबंधित क्रम संख्या 13 के सामने स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.18,000-56900)

[फा. सं. बी आर डी बी/01/03/2020/जी ई-1/141/ आर आर/र.(नि.)/2022]

देवेंद्र कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 29 तारीख 15.06.2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 31st August, 2022

S.R.O. 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Border Roads Organisation, General Reserve Engineer Force, Multi Skilled Worker (Group ‘C’ posts), Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), Multi Skilled Worker, (Group ‘C’ posts), Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Border Roads Organisation, General Reserve Engineer Force, Multi Skilled Worker (Group ‘C’ post), Recruitment Rules, 2016, (herein after referred to as the said rules for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

“2. Number of posts, classification and Level in pay matrix .- The number of posts, their classification and the Level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules” ;

3. In the said rules, in the Schedule,

(i) against serial number 2, relating to the post of Multi Skilled Worker (Cook), in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).”;

(ii) against serial number 7, relating to the post of Multi Skilled Worker (Mess Waiter), in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).”;

(iii) against serial number 8, relating to the post of Multi Skilled Worker (Mason), in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).”;

(iv) against serial number 11, relating to the post of Multi Skilled Worker (Safaiwala), in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in pay matrix
(4)
Level – 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).”

[F. No. BRDB/01/03/2020/GE. I/141/RR/D(Apptts.)/2022]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published vide notification number G.S.R 29 dated 15. 06. 2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) 15.06.2016.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2022

का.नि.आ. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिलिट्री इंजीनियर सेवा बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, मिलिट्री इंजीनियर सेवाएं, बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (समूह ‘ग’ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, मिलिट्री इंजीनियर सेवा, बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम, 2021 की अनुसूची के स्तंभ (9) में, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“टिप्पण: सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण का सफल समापन परीवीक्षा को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा।”

[फा. सं. पी सी -1- बी/75002/आर. आर. / एम. टी. एस. (नॉन-इंड)/सी.एस.सी.सी/205/2022/र.(नि)]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का.नि.आ 20, तारीख 01 जुलाई 2021 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th August, 2022

S.R.O. 53.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Military Engineer Services, Multi Tasking Staff (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2021 namely:-

1. (1) These rules may be called the Military Engineer Services, Multi Tasking Staff (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule of the Military Engineer Services, Multi Tasking Staff (Group 'C' Post) Recruitment Rules 2021, in column (9), the following Note shall be inserted, namely:-

“Note: Successful completion of mandatory induction training of atleast two weeks duration in the relevant field shall be pre-requisite for completion of probation.”

[F. No. PC-1-B/75002/RR/MTS (Non-Ind)/CSCC/205/2022/D(A)]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published on 10 July 2021 in the Gazette of India, Part II Section 4 vide notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No. SRO 20 dated 01 Jul 2021.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2022

का.नि.आ. 54.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, नौसेना समूह 'ग' अनौद्योगिक (प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 1995 को, जहाँ तक उसका संबंध होटल अधीक्षक और रेडियोग्राफर के पदों से है और समूह 'ग' अनौद्योगिक सुरक्षा सहायक पद भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में अनौद्योगिक (प्रकीर्ण) पद/पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), समूह 'ग' अनौद्योगिक (प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अन्य अर्हताएँ, आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सुरक्षा सहायक	11* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय अनौद्योगिक	स्तर -5 (29200-92300 रु°)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या आमेदन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	शतप्रतिशत आमेदन द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	आमेदन : (i) जो नौसेना के कमांड रोस्टर में या नौसेना के निम्नतर विरचना में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं जिसके न हो सकने पर (ii) जिन्होंने नौसेना के कमांड रोस्टर में या नौसेना के निम्नतर विरचना में स्तर-2 में अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो नौसेना के कमांड रोस्टर में या नौसेना के निम्नतर विरचना में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं : या (ii) कमांड रोस्टर पर ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने मूल कांडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक के स्तर-4 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है जिसके न हो सकने पर

			नौसेना के कमांड रोस्टर में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मेट्रिक के स्तर -2 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तेरह वर्ष सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित अनुभव है:- (i) उच्च वर्गीकृत प्रकृति की फाइलों और दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से निपटान (ii) गोपनीय दस्तावेजों और निर्देश पुस्तकों का वितरण और, अनुरक्षण कर सकते हों और उनका ब्यौरा रख सकते हों। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष के अधिक नहीं होगी।
--	--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. होस्टल अधीक्षक	03* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित अनौद्योगिक	स्तर -5 (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता।	18 और 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 + 2 या समतुल्य या होस्टल प्रबंध / होस्टल प्रशासन में डिप्लोमा। 2. किसी चालू मैस या होस्टल में पाँच वर्ष का अनुभव।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। स्थानान्तरित व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा की अवधि नहीं।	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
स्थानांतरण: रक्षा सेवाओं की निरंतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य और उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) अध्यक्ष - कमांडर के रैंक के या समतुल्य रैंक या उससे ऊपर के रैंक के सिविलियन अधिकारी। (2) सदस्य - लेफ्टीनेंट कमांडर/ लेफ्टीनेंट के रैंक के या समतुल्य रैंक या उससे ऊपर के रैंक के सिविलियन अधिकारी।	लागू नहीं होता।

	(3) सदस्य - लेफ्टीनेंट कमांडर/ लेफ्टीनेंट के रैंक के या समतुल्य रैंक या उससे ऊपर के रैंक के सिविलियन अधिकारी (विभाग से असंबद्ध हो)।	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. रेडियोग्राफर	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित जाति/जनजाति/अनौद्योगिक	स्तर - 4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं होता।	18 और 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है।)	1. 10 + 2 या विज्ञान में समतुल्य सहित रेडियोग्राफी में डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में डिग्री जिसमें भौतिक विज्ञान एक विषय के रूप में रहा है। 2. धातुकर्मीय प्रयोगशाखा में दो वर्ष का अनुभव या औद्योगिक रेडियोग्राफिक उपकरण के प्रचलन का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। स्थानांतरित व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा की अवधि नहीं।	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानांतरण: रक्षा सेवाओं की निरंतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य और उच्चतर श्रेणियों में सेवारत ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) अध्यक्ष - कमांडर के रैंक के या समतुल्य रैंक के सिविलियन अधिकारी। (2) सदस्य - लेफ्टीनेंट कमांडर/ लेफ्टीनेंट के रैंक के या समतुल्य रैंक के सिविलियन अधिकारी। (3) सदस्य - लेफ्टीनेंट कमांडर/ लेफ्टीनेंट के रैंक के या समतुल्य रैंक के सिविलियन अधिकारी (विभाग से असंबद्ध हो)।	लागू नहीं होता।

मूल नियम भारत का राजपत्र भाग-II खंड-4, का. नि. आ. 43/2008 दिनांक 2 मई 2008 और का. नि. आ. 226/1995 दिनांक 13 अक्टूबर 1995 द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

[फा. सं. सी पी (एन जी)/2825/अनौद्योगिक भर्ती/91/र(नि.)/2022]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 25th August, 2022

S.R.O. 54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Navy Group 'C' Non-Industrial (Miscellaneous Posts) Recruitment Rules, 1995, in so far as it relates to the posts of Hostel Superintendent and Radiographer and Group 'C' Non-Industrial Security Assistant Posts Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Non-Industrial (Miscellaneous Posts) in the Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy), namely :-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy) Group 'C', Non-Industrial (Miscellaneous Posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**- The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection or non-selection	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Security Assistant	11* (2021) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial	Level-5 (Rs. 29200-92300)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by absorption or by promotion and percentage of the posts to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable	100% by absorption failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or absorption, grades from which promotion/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Absorption: (i) Holding analogous post on regular basis in the Command rosters of Navy or in lower formation of Navy; failing which (ii) With thirteen years regular service in the Lower Division Clerk grade in Level-2 of pay matrix in the Command rosters of Navy or lower formation of Navy Deputation : Officers of the Central Government:- (a) i) Holding analogous post on regular basis in the Command Roster of Navy or lower formation of Navy ; or ii) Upper Division Clerks on command roster with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-4 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; failing which Lower Division Clerks in the Command Roster of Navy or lower formation of Navy, with thirteen years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level -2 in the pay matrix; and (b) Possessing the following experience:- i) Dealing independently with files and documents of highly classified nature ; ii) Distribution and maintenance of confidential documents and books of reference and maintenance of their accounts Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Hostel Superintendent	03* (2021) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial	Level-5 (Rs. 29200-92300)

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 30 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Schedule Castes/Schedule Tribes in accordance with the orders issued by the Central Government).	1. 10+2 or equivalent from a recognised Board OR Diploma in Hotel Management/ Hotel Administration 2. Five years experience in running a mess or Hostel.

(8)	(9)	(10)	(11)
No	Two years for direct recruits. No probation period for transferees	By transfer failing which by direct recruitment	Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence services and possessing qualifications specified in column 7.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1) Chairman-Officer of the rank of Commander or civilian officer of equivalent rank or above. (2) Member-Officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or civilian officer of equivalent rank or above. (3) Member - Officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or civilian officer of equivalent rank or above (unconnected with the department).	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Radiographer	01* (2021) Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial	Level-4 (Rs. 25500-81100)

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 30 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Schedule Castes/Schedule Tribes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard).	1. 10+2 or equivalent in Science with diploma in Radiography OR degree in Science with Physics as one of the subjects from a recognised University. 2. Two years experience in metallurgical laboratory or experience in operation of industrial radiographic equipment.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for direct recruits. No probation period for transferees	By transfer failing which by direct recruitment	Transfer: Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence services and possessing qualifications specified in column 7.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1) Chairman - Officer of the rank of Commander or civilian officer of equivalent rank. or above (2) Member - Officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or civilian officer of equivalent rank. or above (3) Member - Officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or civilian officer of equivalent rank or above (unconnected with the department).	Not applicable

4. The original rules were published in the Gazette of India, part II, Section 4, vide SRO No. 43/2008 dt 02nd May 2008 and SRO No. 226/1995 dt 13 Oct 1995.

[F. No. CP(NG)/2825/NON-IND/RR/91/D(A)/2022]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.